



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, केन्द्रीय कार्यशाला अजमेर

निविदा सूचना

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, अजमेर स्थित केन्द्रीय कार्यशाला में दिनांक 01.02.2020 से आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए निम्न कार्य अनुबन्ध के आधार पर कराए जाने की निविदा आमंत्रित की जाती है।


क्रम सं०	कार्य विवरण
01.	केन्द्रीय कार्यशाला/टायर प्लान्ट/निष्पादन शाखा में सफाई का कार्य

अतः इच्छुक व्यक्ति संस्था/फर्म/अपनी निविदा/प्रस्ताव (दरो का उल्लेख करते हुए) दिनांक 13/01/2020 को 14.30 बजे तक निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी, जिन्हे उसी दिनांक को 15.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

निर्धारित निविदा प्रपत्र एवं निविदा शर्तें इस कार्यालय के कार्य समय में निविदा प्रकाशन के 3 दिवस पश्चात् से रू. 100/- निविदा शुल्क इस कार्यालय में रोकडिया को नकद जमा करवा कर प्राप्त किए जा सकते हैं। अधोहस्ताक्षरकर्ता को किसी भी निविदा प्रपत्र को बिना कोई कारण बताए पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार होगा तथा अन्तिम तिथि व समय के बाद प्राप्त होने वाली किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

उक्त निविदा निगम की वेबसाइट

<http://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc> पर भी उपलब्ध है।


(पंकज वर्मा)

मुख्य उत्पादन प्रबन्धक
केन्द्रीय कार्यशाला अजमेर

केन्द्रिय कार्यशाला अजमेर में अनुबन्ध पर कराए जाने वाले सफाई कार्य एवं भुगतान के लिए निर्धारित शर्तों का विवरण

03. अनुबन्धकर्ता को सफाई कार्य हेतु प्रतिदिन चार श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे तथा सभी श्रमिकों की उपस्थिती प्रतिदिवस प्रशासनिक कार्यालय में दर्ज करवानी होगी।
04. यदि किसी कार्य दिवस को कम कर्मचारी उपलब्ध होते हैं तो आनुपातिक रूप से निगम के द्वारा कटौती की जावेगी तथा तीन दिवस पश्चात् पृथक से प्रति श्रमिक के रूपये 200/- प्रति दिवस पेनेल्टी वसूली योग्य होगी।
03. अनुबन्धकर्ता के द्वारा उपलब्ध कराए गए समस्त कर्मचारियों के संबन्ध में निर्धारित कटौती जैसे भविष्य निधि, ई0 एस0 आई0 अंशदान कर्मचारी व नियोक्ता दोनों के अंशदान, जीएसटी तथा आयकर की कटौती अनुबन्धकर्ता को देय भुगतान में से नियमानुसार की जावेगी। भुगतान बिल प्रतिमाह प्रशासनिक कार्यालय से प्रमाणित करवा कर ही लेखा शाखा को प्रस्तुत करना होगा
04. अनुबन्धकर्ता को देयक प्रस्तुत करने व भुगतान का चैक प्राप्त करने लिए स्वयं उपस्थित होना होगा अन्यथा अपने अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त कर उसका परिचय पत्र एवं अधिकार पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना होगा।
05. अनुबन्धकर्ता के द्वारा उपलब्ध कराए गए समस्त कर्मचारियों के फोटो परिचय पत्र जारी कर अग्रिम जानकारी अनुबन्ध कार्य शुरू करने से पूर्व प्रस्तुत करनी होगी ताकी निगम के मुख्य सुरक्षा प्रहरी को इसकी जानकारी दी जा सकेगी ताकी उन्हें कार्यशाला में प्रवेश करने में कठिनाई न रहे, कार्यरत कर्मचारी के बदलाव पर भी यहीं प्रक्रिया काम में ली जावेगी, परिचय पत्र के साथ उनके आई. डी. प्रूफ भी कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
06. केन्द्रिय कार्यशाला में निर्धारित कार्य समय के मध्य उपलब्ध करवाए गए कर्मचारियों के साथ कोई दुर्घटना घटने पर संबन्धित कर्मचारियों को आकस्मिक चिकित्सा/सुविधा उपलब्ध कराने का दायित्व अनुबन्धकर्ता का लगाए गए प्रत्येक कर्मचारी के लिए रहेगा।
07. अनुबन्धकर्ता का कार्य सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर किया गया अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जावेगा तथा प्रतिभू (धरोहर) राशि जब्त कर ली जावेगी।
08. ठेकेदार व उसके कर्मचारियों को निगम अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों की पूर्ण पालना करनी होगी तथा कार्य स्थल पर पूर्ण अनुशासन बनाए रखना होगा।
09. उपरोक्त कार्य का अनुबन्ध (ठेका) पूर्णतया अस्थाई है तथा अनुबन्धकर्ता का निगम में स्थाई सेवा से संबन्धित कोई भी लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा और ना ही इसके लिए अनुबन्धकर्ता के द्वारा मांग की जावेगी।
10. अनुबन्धकर्ता को राशि 1000/- टेण्डर प्रस्तुत करते समय अग्रिम जमा कराना होगा सफल निविदादाता को टेण्डर राशि का (1 वर्ष) के पांच प्रतिशत के बराबर प्रतिभू राशि जमा करानी होगी जिसमें से 1000/- अक्षरे एक हजार रूपए का समायोजन कर लिया जावेगा।
11. अनुबन्धकर्ता यदि अवधि समाप्ति से पूर्व ठेका छोड़ना चाहता है तो उसे एक माह पूर्व इस आशय का नोटिस देना होगा अन्यथा निगम के द्वारा जमा धरोहर राशि रूपए जब्त कर ली जावेगी।

.....निरन्तर.....(2)

12. निगम बिना कारण बताए एक माह का अग्रिम नोटिस जारी कर ठेका समाप्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगी।
13. अनुबन्ध के संबन्ध में किसी प्रकार के विवाद के लिए प्रबन्ध निदेशक एवं अध्यक्ष राजस्थान पथ परिवहन निगम पंच होंगे तथा उनका निर्णय अन्तिम एवं दोनो पक्षों को मान्य होगा।
14. अनुबन्ध की अवधि बढ़ाई जा सकती है।
15. 100/- रूपये के स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र भर कर इस कार्यालय में जमा कराना होगा।
16. समय समय पर संबन्धित जारी विभागीय आदेशों की पालना की जावेगी।